

प्रेस नोट:-

जनपद – रामपुर

दिनांक- 14.11.2023

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

मिलक:जिला बदर अभि० गिरफ्तार

थाना मिलक पुलिस द्वारा एक नफर जिला बदर अभियुक्त अजीम पुत्र हनीफ उर्फ लाला कुरैशी निवासी मौ० अस्तुल्लापुर कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर दिनांक 12.8.2023 से 06 माह जिला बदर चल रहा है अभि० जिलाबदर अवधि मे जनपद सीमा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई व थाना मिलक पर मु०अ०स० 348/23 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधि० पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ०नि० श्री उरफान खाँ

हे०का० 510 कपिल कुमार

का० 852 यशवीर सिंह

थाना मिलकखानम:- पोक्सो एक्ट के अभियोग में बांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना मिलक खानम जनपद रामपुर पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.2023 को पंजीकृत मु०अ०स० 116/23 धारा 323/376(3)/506/306/511 भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट के अभियोग में बांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.मनोज पुत्र ओमचरन निवासी ग्राम मानुल्लापुर थाना मिलक खानम जनपद रामपुर उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह

2.हे०का० 665 ब्रिजेश कुमार

3.हे०का० 124 रविन्द्र कुमार

4.का० 715 विकी देवल

थाना सिविल लाइन:-नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार -

थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अभि० राशिद पुत्र सुल्तान नि० नई बस्ती अजीतपुर थाना सि०ला० रामपुर को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु०अ०स० 397/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.हे0का0 651 रविन्द्र कुमार थाना सिविल लाईन

2.हे0का0 393 पिन्दू सिंह थाना सिविल लाईन

थाना मिलक:-दो वारंटी अभि0 गिरफ्तार-

थाना मिलक पुलिस द्वारा दो नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1. रामस्वरूप पुत्र गिरधारीलाल निवासी सल्ला थाना मीरगंज जिला बरेली 2. सुखलाल पुत्र होरीलाल निवासी परम थाना मिलक जनपद रामपुर को उनके मस्कन से गिरफ्तार कर कर कार्यवाही की गई ।

मिलक:-20 ली0 नाजायज शराब के साथ एक अभि0 गिरफ्तार-

थाना मिलक पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त अनोखेलाल पुत्र बाकेलाल 48 वर्ष निवासी ग्राम खुटिया थाना मिलक जनपद रामपुर को ग्राम परम से मय 20 लीटर अवैध शराब खाम के साथ गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई । बरामदगी के आधार पर थाना मिलक पर मु0अ0स0 349/23 धारा 60(1) आ0अधि0 पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी का विवरण

20 लीटर अवैध शराब खाम

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 श्री सुरेश चन्द्र मिश्र

का0 1409 राहुल कुमार